International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 06, June 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मानवाधिकार एवं दलित एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. संगीता नागरवाल
इतिहास विभाग
राजकीय महाविद्यालय बाँदीकुई (दौसा)

मानवाधिकार वो अधिकार है जो किसी भी मनुष्य को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते है यानि की किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। इनकी उत्पत्ति का स्त्रोत मानवीय विवेक न होकर मानव का मानवोचित गुण है। इनके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इत्यादि अधिकार भी शामिल है। ऐसे तो मानवाधिकार शब्द का प्रयोग 20 वीं शताब्दी से किया जाने लगा लेकिन इससे पहले इन्ही अधिकारों के लिये प्राकृतिक अधिकार/ व्यक्ति के अधिकार इस प्राकृतिक अधिकारों से भारतीय समाज का एक वर्ग वंचित रहा या यू कहे कि उसे वंचित रखा गया। ये वर्ग था दलित वर्ग।

दलित एक जनसमूह का निर्दिष्ट नाम है जिन्हे सामाजिक पारम्परिक मान्यताओं के अनुसार 'अछूत' समझा जाता था। दलित शब्द का अर्थ है 'टूटा हुआ', चीरा हुआ, फाडा हुआ, टुकडे–टुकडे हुआ। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग श्री ज्योतिराव फूले द्वारा किया गया था। आत दलित वर्ग को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग की उत्पत्ति हम वैदिक युग से मान सकते है। इस काल में दो वर्ग अस्तित्व में आये। आर्य वर्ग व अनार्य वर्ग। जिसमें आर्य वर्ग विजेता व अनार्य वर्ग हारने वाला। हारने वाला यह वर्ग दास की श्रेणी में आ गया। ऋग्वेद में प्रयुक्त दास शब्द सायण के अनुसार कर्म करने वाला अथवा स्वामी की सेवा करने वाला के संदर्भ में आया है। इस समय तक दास अछूत नही थे पर उन्हे तिरस्कृत भाव से देखा जाता था। इसी युग में समाज मे वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई जिसका सम्भवतः अर्थ था रंग या व्यवसाय। यह व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थी यानि जिसका जैसा कार्य उसका वैसा ही वर्ण, जैसे की अध्ययन अध्यापन कराने वाला ब्राह्मण, रक्षा करने वाला शूद्र। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पुरूष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के दैवीय सिद्धान्त का उल्लेख है इसके अनुसार समस्त सृष्टि की रचना एक विराट पुरूष से हुई है। इस विराट पुरूष` मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यदि समस्त वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरूष से हुई तो इन वर्णों के कोई विशेष चिन्ह क्यों नही मिले जैसे कि ब्राह्मण के चोंच, क्षत्रियों के सींग और शूद्रों के पूँछ।

उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई और यही से शुरू हुआ असमानता व भेदभाव का युग। महाकाव्य काल मे तो वर्ण व्यवस्था और अधिक सुद्ढ हो गई। शूद्रों को यज्ञ करने, पढने–पढाने व अन्य कार्यों को अपनाने का अधिकार नही था। मौर्यकाल तक वर्ण व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी थी ओर शूद्रों की स्थिति दयनिय। मौर्यकाल तक आते–आते चार वर्ण अनेक जातियों में विभक्त हो चुके थे। इस समय जाति–प्रथा का स्वरूप भी जटिल था। गुप्त काल में यह जाति व्यवस्था अत्यन्त कठोर हो गई। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार निम्न श्रेणी की जातियों को चांडाल कहा जाता था। गुप्तकाल में उपजातिय व्यवस्था इसकी मुख्य विशेषता थी। इस काल मे कई उप जातियों का उद्गम हो चुका था जिसके कारण समाज में जातिगत जटिलता बहुत बढ गई थी। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था जिन्हे अछूत या चाण्डाल कहा जाता था। चंडाल को समाज मे सबसे निम्न दर्जा दिया गया और शवों को जलाने, उन्हे गाडने, मछली मारने, शिकार करने, मांस बेचने का कार्य दिया गया। इस समय अछूतों की स्थिति बहुत ही खराब थी। चाण्डाल / शूद्र समाज से बहिष्ककृत थे चाण्डाल गांव से बाहर एक ओर रहते थे जब वे शहर या बाजार में प्रवेश करते थे तो उन्हे एक विशेष प्रकार की आवाज करनी पडती थी ताकि उच्च जातियों के सदस्य उनके स्पर्श से बच सके। यहा तक की उन्हे अपने पीछे झाडु बांधनी पडती थी तथा हाथ में बर्तन रखना पडता था ताकि कि किसी अन्य व्यक्ति का पैर उनके पद् चिन्हो पर न पडें। इससे यह स्पष्ट होता है कि शूद्रों को दो वर्णो में विभाजित कर दिया गया– प्रथम

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 06, June 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

स्पृश्य और द्वितीय अस्पृश्य/अछूत। इस अस्पृश्य/अछूत वर्ग को ही पंचम वर्ग भी कहा गया। यह माना जाने लगा कि पंचम वर्ग के मनुष्य निष्कृष्ट, असम्भ्य व अपवित्र होते है। इस पंचम वर्ग को न केवल छूने की मनाही थी बल्कि उसके साथ उठना, बैठना, खाना–पीना, सामाजिक सम्बन्ध रखना तथा उनके मंदिरों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध हो गया था। जहॉ उच्च वर्ग के लोग रहते थे वहॉ ये नही रह सकते थे। उच्च वर्ग के लोग जिस मंदिर, तालाब, कुंआ और पोशाक का प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग अस्पृश्य वर्ग नही कर सकता था। दूरी बनाये रखना जरूरी था। यह अस्पृश्यता उच्च जातियों द्वारा ही नहीं थी बल्कि निम्न जातियों मे भी यह स्थिति पाई जाती थी। हेन्सांग ने भी कसाई, धोबी, नट, नर्तक, बधिक, और भंगियों की तंग बस्तियों का उल्लेख किया है। यानि शूद्र वर्ण का अस्पृश्य वर्ग ही दलित माना गया क्योंकि सदियों से उसका दलन होता रहा है इस वर्ग को समय–समय पर अलग–अलग नामों से जाना गया– दासवर्ग, शूद्रवर्ग, अस्पृश्य वर्ग/ अछूत वर्ग/दलित वर्ग। वह वर्ग जिसके दलन का इतिहास पुराना है या जिनका प्राचीन काल से होता आ रहा है और प्रत्येक काल में यह दलन कम होने के स्थान पर बढता ही गया। अलबरूनी ने लिखा है कि शूद्रों के नीचे आने वाले अन्त्यज कहलाते है। चमडा बनाने वाले चमार, जुलाहा जादूगर, टोकरी बनाने वाले नाविक, मछवारे एवं बहेलिये, डोम चाण्डाल आदि जातियॉ सफाई का कार्य करती थी। राजपूत मुगलकाल व ब्रिटिश काल में तो दलितों/अस्पृश्यों/अन्त्यजों की स्थिति अति वेदनीय व असहनीय हो गई थी यहाँ ऐसा लगता है कि यह वर्ग सिर्फ दलन व शोषण करने के लिए बना है यहाँ पर मानवाधिकार की धज्जियॉ उडती हुई दिखयी देती है इस वर्ग को तो उनके प्राकृतिक अधिकार या जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार भी प्राप्त नहीं थी वे स्वतंत्रता पूर्वक निवास नही कर सकते, बोल नहीं सकते, समानता की बात तो बहुत दूर की है कई बार तो उनसे जीवन का अधिकार भी छिन लिया जाता था। यहाँ देखने पर मानवाधिकार बेमानी से नजर आते है। आइये देखते है कि सैद्धान्तिक घोषणा से पूर्व कैसे मानवाधिकारों/प्राकृतिक अधिकार/व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता था। बेगार के सच में बलात श्रम लिया जाता। बेगार न देने पर उन्हे कोडों से मारा पीटा जाता। मोचियों से जुतियाँ बेगार में ली जाती, रैगरों से घास लाने का काम बेगार मे करवाया जाता, मेहतरों से ठिकाना व खास जगहों पर सफाई बेगार में कराई जाती, ढोलियों को राज्य कर्मचारियों के यहॉ शादी विवाह के अवसर पर बेगार मे गाने–बजाने का काम करना पड़ता था। इनसे बेगार में पत्र व्यवहार का भी काम कराया जाता। राजा–महराजा के शोक पूरा करने के लिए इन्हे कडाके की सर्दी में 5–6 घण्टे ठन्डे पानी में बतखों कों उडाने व मरी बतखों को पकडने के लिए खडा रहना पडता था।

दलित लोग जमीन पर थूक नही सकते थे, थुकने के लिए उन्हे गलें मे कुल्लड बाँधकर घर से बाहर निकलना पडता था। चलते समय उन्हें अपने पद चिन्ह मिटाने के लिये धोती या लंगोटी के पीछे झाडू बाँधनी पडती थी। यदि दलित की वाणी किसी सवर्ण को खाना खाते समय सुनाई दे जाये तो वह तुरन्त खाना छोड देता था। मेहतर जाति के व्यक्तियों को शहर में प्रवेश करते समय "पाएस–पाएस" की ध्वनि मुंह से निकालनी पडती थी। जिसका मतलब था दूर हट जाओं। जहॉ मेहतर बैठते थे उस जगह पर पानी डाला जाता था। नवज्योति समाचार पत्र लिखता है कि अस्पृश्य वर्ग में चमार, बोला, रैगर, खटीक, भांग, भंगी, कोली, धोबी, परियार, सुनार, खाती, दर्जी, बट्टी, भडभूजा, डबकर, लगडी, ग्वारिया, खत्री, माली, संगा, सिलावट, कुम्हार, नाई, लखेरा, ढोली, भाम्बी, बागडी, सरगड़ा करजटिया आदि जातियॉ व उपजातियॉ शामिल थी इन जातियों को हीन समझा जाता, इनका क्रय–विक्रय किया जाता, इन जातियों से कर भी अधिक वसूल किया जाता। अपराध के समय सजा भी अधिक दी जाती।
इनके हाथ का पानी पीना पाप समझा जाता था। पूजा–पाठ से इनका कोई लेना देना नही था। दलितों को दुकानदार खाना नही देता था, धोबी उनके कपडे नही धोता था तथा नाई उनके बाल नहीं काटता था। इन्हे भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति नही थी। शादियों में घोडे पर बारात निकालना, बाजे बजाना, जूते पहनकर गांव में निकलने पर भी प्रतिबंध था। सार्वजनिक तालाबों व कुओं से पानी नही भर सकते थे। पर्व व त्यौहार नही मना सकते थे। मंदिरों में नही जा सकते थे। बूंदी में तो बलाई नामक जाति को गेहूँ का आटा खाना भी मना था। घी में पकवान नही बना सकते थे। यहॉ तक की सार्वजनिक भोज नही कर सकते थे। लड्डू व हलवा नही बना सकते थे, साईकिल, पंखा इत्यादि नही खरीद सकते थे। दलित अच्छे कपडे, जेवर नही पहन

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 06, June 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सकते थे। ठाकुर के पिता या माता की मृत्यु होने पर गाँव के सारे दलित सर मुडवाते थे। दलित बैलगाडी मे नही बैठ सकते थे, दलितों को किसी भी पर्व पर रथ यात्रा, जुलूस आदि निकालने पर प्रतिबध था। शादी के मोके पर ठाकुर दलितो से मुफ्त में ईंधन डलवा लेते थे। दलित तांगा, ईक्का गाडी में नही बैठ सकते थे। रेलगाडी में भी इन्हे फर्श पर इस तरह बैठना पडता था कि दूसरे सवर्ण से सटे नहीं। सीट पर तो वो बैठ ही नही सकते थे। ठाकुर परिवार में किसी के मरने पर चिठ्ठी देने के लिये दलित व्यक्ति को दूसरे गांव भेजा जाता था। ब्याह तथा मोसर आदि अवसरों पर कोई दलित बनिये से कर्ज लेता तो बदले में उससे खेत की सारी फसल ले लेता था तथा सारी उमर वह कर्ज नहीं उतरता था। जयपुर में मेहतर पुरूष को अपनी पगडी या सिर पर मोरपंख बांधनी पडती थी और भी बहुत सी ऐसी बंदिशे है जो दलित वर्ग पर जबरन लादी गई थी।

दलितों में महिला दलितों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। उनका तो अपने ही वर्ग के लोगों द्वारा भी दलन होता था दलित स्त्रियॉ सोने–चॉदी के जेवर नही रख सकती थी भारत के कई क्षेत्रों में तो महिलाओं को स्तन कर देना पडता था उन्हें स्तन तक ढकने की मनाही थी। भारत के कुछ गाँवों (इन्दौर) में जमरा प्रथा का प्रचलन था जिसके अनुसार होली के दूसरे दिन एक बलाई स्त्री को उसके सिर पर गोबर मिट्टी का पुतला रख कर सारे गाँव मे घुमाया जाता और उसे कीचड़ तथा गोबर से सरोबर कर दिया जाता था। फरवरी 1922 में जयपुर रियासत के सकतगढ़ में एक चमार महिला को इसलिए मारा गया कि उसने अपने पैरों में चाँदी के के जेवर पहन रखे थे। 1938 में अलवर मे हरिजन औरतों को चाँदी केकडे पहनने पर खूब पीटा गया। जागीरदार व ठाकुरों के आदमी दलित महिलाओ व लडकियॉ को अपनी काम–वासना की पूर्ति हेतु जबरदस्ती उठा ले जाते। बलात्कार, अपहरण, हत्या, इनके साथ आम बात थी। ठाकुर के घर में मौत होने पर दलित महिलायें काली ओढनी पहनती थी। जयपुर में मेहतर महिलाओं की अपनी लुगडी (साडी/ओढनी) पर पुराने कपडे का पैबन्द लगाना पडता था ताकि सवर्ण उन्हे दूर से ही पहचान सके की वे अछूत है, तो ये थे दलित वग। के मानवाधिकार? दलितों की इस स्थिति को देखते हुये मानवाधिकार एक उपहास सा नजर आते है। ये स्थिति तो जब थी जब भारतीय समाज सुधार के लिये आन्दोलन चलाये जा रहे थे। इन दलितों की स्थिति को देखते हुये रूसों के ये विचार उचित ही प्रतीत होते है।

मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र
जंजरों से जकडा हुआ है।

ऐसी ही स्थिति में 20 वी शताब्दी 1948 में सयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा पत्र जारी कर प्राकृतिक अधिकारों/व्यक्ति के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में विस्तृत किया कि भारत के संविधान में भी जहाँ दलितों को अनूसुचित जाति के रूप में मान्यता दी। साथ ही दलितों के मानवाधिकार के संरक्षित रखने के लिये कुछ प्रावधान भी रखे। भारत ने भी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 पर हस्ताक्षर किये थे। भारत हस्ताक्षर करने वाले 48 देशों मे से एक था इसी आधार पर भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिये दृढ संकल्प होकर अंगीकृत अधिनियमित और आप्मार्पित किसा गया है।

प्रावधान का संक्षिप्त विवरण	मनवाधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा	भारत के संविधान के अनुच्छेद
1. कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा	1948 के अनुच्छेद	अनुच्छेद 14
2. मौलिक अधिकारों के उल्लंधन के उपाय	अनुच्छेद 8	अनुच्छेद 32
3. जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 9	अनुच्छेद 21
4. अपराध की सजा के सम्बन्ध में संरक्षण	अनुच्छेद 11(2)	अनुच्छेद 20(1)
5. सम्पत्ति का अधिकार	अनुच्छेद 17	अनुच्छेद 31
6. अन्तरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी धर्म का अभ्यास प्रचार और प्रसार करना	अनुच्छेद 18	अनुच्छेद 25 (1)
7. बोलने की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 19	अनुच्छेद 19 (1) (ए)
8. सार्वजनिक सेवा के अवसर में समानता	अनुच्छेद 21 (8)	अनुच्छेद 16 (1)

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 06, June 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

9. शिक्षा का अधिकार	अनुच्छेद 26 (1)	अनुच्छेद 21 (ए)
10. राज्य को सामाजिक और शैक्षिणक दृष्टि से पिछडे हुए नागरिकों के किन्ही वर्गो की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई विशेष उपलब्ध करने का अधिकार		अनुच्छेद 15 (4)
11. राज्य के पिछडें हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है। नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण के लिए उपबन्ध का अधिकार		अनुच्छेद 16 (4)
12. अस्पृश्यता का अन्त व किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण लिखित किया गया है। अस्पृश्यता से उसकी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।		अनुच्छेद 17
13. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान		अनुच्छेद 43
14. छः वर्ष से कम आयु के बालको के लिए प्रारम्भिक शैशावस्था की देखरेख मे शिक्षा का उपबन्ध		अनुच्छेद 45
15. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबधित हितों की अभिवृद्धि के प्रावधान		अनुच्छेद 46
16. प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित करने का प्रावधान		अनुच्छेद 243 घ
17. नगरपालिका में आरक्षण का प्रावधान		अनुच्छेद 243 ( )
18. लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान		अनुच्छेद 330
19. राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान		अनुच्छेद 332
20. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा।		अनुच्छेद 335
21. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन करने का प्रावधान है।		अनुच्छेद 338
24. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण का प्रावधान		अनुच्छेद 339
25. पिछडे वर्गो की दशाओं के अन्वेषण के लिये आयोग की नियुक्ति की जा सकती है।		अनुच्छेद 340

ये सारे प्रावधान दलितों के कल्याण और उन्हे समाज की मुख्य धारा में जोडने के लिये बनाये गये है।

दलितों के हितो के रक्षणार्थ तथा सब प्रकार के नस्लीय एवं जातीय भेदभाव के निराकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1963 मे हर प्रकार के जातिगत भेदभावों को समाप्त करने संबंधी सयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी घोषणा को स्वीकार किया । इस घोषणा में सभी व्यक्तियों की मूलभूत समानता को स्वीकार किया और यह पुष्टि की कि रंग, नस्ल या जातिय मूल के आधार पर मनुष्यो के बीच भेदभाव बरतना वैश्विक घोषणा में शामिल मानवाधिकारों का उल्लघन है और देशों तथा लोगो के बीच में मेरी पूर्ण व शांति पूर्ण संबंधों में बडी बाधा है। इसके दो वर्ष बाद वृहत्सभा ने हर प्रकार का रंगभेद समाप्त करने के अन्तर्राष्ट्रीय कनवेंशन को स्वीकार किया जिसके अन्तर्गत सभी सदस्य देशों के लिए दंड देना अनिवार्य हो गया।

छूआछूत विरोधी कानून 1955 :– छूआछूत को समाप्त करने के लिये यह कानून लाया गया।

अनूसुचित जाति और अनूसुचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – 1989 कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और यदि वह (1.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। (2.) इन जातियों के किसी सदस्य के परिसर या पडोस में मलमूत्र, कुडा, पशु, शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुचाने, अपमानित करने के आशय से कार्य करेगा। (3.) बलपूर्वक कपडे उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमायेगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरूद्ध है। (4.) स्वामित्वधीन या उसे आवंटित भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करेगा या उसे आवंटित भूमि को अंतरिम करा लेगा। (5.) भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि परिसर या फल पर उसके

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 06, June 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अधिकारों के उपयोग में हस्तेक्षेप करेगा। (6.) बेगार या बलात श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलायेगा। (7.) मतदान न करने के लिये या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा, (8) मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दण्डित या आय विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा, (9.) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके किसी अन्य सदस्य को क्षति पहुचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग करायेगा। (10.) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा। (11.) इन जातियों की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा, (12.) इस वर्ग की महिला की इच्छा को अधिशाषित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग लैंगिक शोषण करने के लिए जिसके लिये वह अन्यथा सहमत नहीं करेगा। (13) किसी स्त्रोत जलाशय या किसी अन्य उद्‌गम के जल को आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गन्दा करेगा जिससे कम उपयुक्त हो जाये, (14.)सार्वजनिक अधिगम के स्थान मार्ग के किसी रूढिजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुचायेगा, (15) अपना मकान गॉव या अन्य निवास स्थान छोडने के लिए मजबूर करेगा या करायेगा।

वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डीनय होगा।

धारा 3(2)(v) के अनुसार जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दस वर्ष या उसके अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध करेगा, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 3 (vii) :– जो कोई लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड तक हो सकेगी, दएडनीय होगा।

धारा 5 में पश्चातवर्ती दोषसिंद्ध के लिए वर्धित दण्ड़ के प्रावधान है।

धारा –7 जहॉ कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, वहॉ विशेष न्यायालय कोई दण्ड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति स्थावर या जंगम दोनो जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहुत हो जायेगी।

धारा – 8 में अपराधों के बारे में उपधारणा है। अधिनियम के अध्याय –3 में निष्कासन के प्रावधान है। अध्याय – 4 में किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रावधान है।

धारा – 16 राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति है।

धारा – 18 में अग्रिम जमानत के प्रावधान को समाप्त किया गया हे।

धारा – 19 में अपराधी को परिवीक्षा का लाभ नही दिया जायेगा।

धारा – 21 में राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा कि अधिनियम का प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करे।

धारा – 42 राजस्थान में अधिकृत अधिनियम 1955 खातेदार काश्तकार द्वारा अपने पूरे भूमि क्षेत्र में या उसके किसी भाग में अपने हित की बिक्री दान या वसीयत शून्य होगी यदि उक्त बिक्री, दान या वसीयत अनुसुचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसुचित जाति का नही हो अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं है।

धारा 183 :– इस अधिनियम के किसी उपबन्ध मे कोई विपरीत बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे मे बिना वैध अधिकार के ले लिया है। उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने के हकदार है, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बेदखली का भागी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 06, June 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शक्ति के तौर पर ऐसी रकम देने का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुने तक हो सकती है।

2. ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के उपबन्धों के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

मानवाधिकारों का हनन नहीं रूका सका तो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसकी धारा 2 (घ) के अनुसार मानव अधिकारों से तात्पर्य संविधान द्वार प्रत्याकृत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अन्तनिर्हित उन अधिकारों से है, जो जीवन स्वतंत्रता एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से सबंधित तथा भारत मे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो। अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से आशय संयुक्त राष्ट्र सघ महासभा द्वारा 16 दिसम्बर 1966 की अभिस्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक एवं अधिकार प्रसंविदा तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा से है।

वर्ष 1993 में ही मानवाधिकार आयोग ने नस्लवाद, रंगभेद, विदेशी द्वेष और आय संवद्ध असहिष्णुताओं के सामरिक रूप की रोकथाम के बारे मे विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किया। उसका समादेश दुनिया मे किसी भी रूप में मौजूद रंगभेद, जाति भेदभाव, अश्वेतों, विदेशी मूल के लोगों, अरबों, और मुस्लिमों के प्रति भेदभाव तथा उनसे निपटने के सरकारी उपायों की समीक्षा करने का है।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा भारतीय संविधान मे किये गये प्रावधानों के बाद भी भारत में दलित पन अभी बाकी है, यह विशेष वर्ग गाँवों, शहरों, राज्यो मे अभी भी किसी न किसी रूप में प्रताडित है, द्वारा जारी आंकडों के अनुसार देश में बीते कुछ सालों में जैसे ही 2006 में दलितो के प्रति अपराधों के कुल 27070, 2011 में 33719, 2014 में 40401, 2015 में 38670, 2016 में 40801, 2017 में 82006, 2018 में 85950, 2019 में 26585, 2020 में 75604 शिकायते दर्ज हो चुकी है। दलित महिलाओं के साथ तो अत्याचार, बलात्कार, योनहिंसा, अपहरण, हत्या के मामले आम बात है, भारत में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 405861 मामले दर्ज हुये तो दलित महिलाओं के साथ अत्याचार के 45935 दर्ज हुये। बहुत से मामले तो दर्ज ही नही होते। मामला दर्ज करवाने वालो के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता है जिससे सही आकडे प्राप्त नही होते। मानवाधिकार एवं दलितो का ऐतिहासिक विवेचना से यह तो स्पष्ट है कि दलित/अनुसूचित जाति/अन्तजाय, अछूत, शुद्र, हरिजन, प्रारम्भिक काल से अपने अधिकारों यहॉ तक कि प्राकृतिक अधिकसारों सें वंचित रखा गया और विभिन्न तरीकों से उनका शोषण व दलन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा व भारतीय संविधान मे दिये गये प्रावधानों से भी इस वर्ग का शोषण नहीं रूका। बाबा साहब का अथक प्रयास भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नही ला पाया। इस वर्ग के प्रति अत्याचार व शोषण न रूकने की एक मात्र वजह है समाज की रूढिवादी मानसिकत जो इस वर्ग को किसी भी हाल में अपने समकक्ष देखना नही चाहती। जो हमेशा हिन दृष्टि से देखते है जिनका मानना है कि यह वर्ग सिर्फ शोषण के लिये ही बना है। जब तक यह सोच नही बदलेगी तब तक इस वर्ग की स्थिति पूर्णतः नहीं बदलेगी। अभी भी कदम–कदम पर अनुसूचित जाति को अछूतपन का दंश झेलना पडता है, चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी मेहनत से कितना ही बडा पदाधिकारी बन जाये उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है।

आवश्यकता है न्यायालयों में अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों की ताकि, एक पीडित ही अपने समाज की पीडा को समझ सके व अपने समाज को न्याय दिला सके। अतः प्रावधानों के साथ जरूरत है समाज की सोच बदलने की तभी समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों का निर्भिकता से पालना कर सके। तभी स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकेगा अन्यथा सारे प्रयास व्यर्थ है। अनुसूचित वर्ग को भी अपने अधिकारो के प्रति जागरूक होना होगा और इसके लिए जरूरी है अपने अधिकारों की जानकारी। यदि प्रत्येक नागरिक को अपने अपने अधिकारों का ज्ञान होगा तो वह उसके संरक्षण के लिये संघर्ष कर सकता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 06, June 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सन्दर्भ सूची : –

1. समाचार पत्र

अलवर पत्रिका
राजस्थान
त्यागभूमि
तेज प्रताप
नवज्योति

2. सहायक ग्रन्थ

1. जैन. एन. के न्यायमूर्ति :– दलितों के अधिकार–2006, जयपुर
2. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग :– दलितों के अधिकार, जयपुर
3. जैन. एन. के न्यायमूर्ति :– मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार, 2009, जयपुर
4. अम्बेडकर भीमराव :– अछूत, कौन और कैसे, गौतम बुक सेन्टर, 2005, दिल्ली
5. बावेल, बसन्तीलाल :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जयपुर
6. बौद्ध मनफूल सिंह :– दलित पिछडो का ऐतिहासिक आईना, 2003, सूरतगढ
7. चानना, देवराज :– प्राचीन भारत में दास प्रथा–1989, दिल्ली
8. दुबे, अभय कुमार :– आधुनिकता के आईने में दलित, 2002, दिल्ली
9. कर्दम, जयप्रकाश :– 21वीं सदी में दलित आन्दोलन, दिल्ली
10. शर्मा, गोपीनाथ :– राजस्थान का इतिहास प्रारम्भिक काल से मध्य युग तक 1981 दिल्ली
11. देवडा जी. एम. एल. :– सोसियो इकोनोमिक स्टडी ऑफ राजस्थान, 1986 जोधपुर